संख्या —— /XXXVI-A-1/2020–43 एक(1)/2003

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2020

विषय– मा0 सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में क्रमशः एस0एल0पी0/वादों के दायर किये जाने हेतु विविध व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–43/XXXVI(1)/2016–43 एक(1)/2003 टी0सी0–1 दिनांक 28.01.2016 को अधिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में सिविल एवं टैक्स के मामलों में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने में निहित विविध व्यय की वृद्धि को देखते हुए पूर्व में निर्धारित विविध व्यय की फीस दरों में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	मद	अनुमन्य दरें
1	टाइपिंग चार्ज कम्पयूटर से प्रति पेज	₹ 25/–
2	ट्रान्सलेशन चार्ज प्रति पेज	₹ 80/–
3	स्टेनोग्राफर चार्ज प्रति पेज	₹ 40/–
4	फोटेस्टेट व्यय प्रति पेज	₹ 02/–
5	बाइन्डिग व्यय प्रति पेपर बुक	₹ 50/–
6	एस0एल0पी0 में कोर्ट फीस प्रति केस	वास्तविक व्यय
7	सी0ए0 में कोर्ट फीस प्रति केस	वास्तविक व्यय
8	ड्राफ्टिंग फीस	₹ 15000/– प्रति केस संयुक्त (कनेक्टेड) केस होने की स्थिति में एक से अधिक वादों में ₹ 15000/– के अतिरिक्त ₹ 3000/– प्रति केस अधिकतम ₹ 15000/– अर्थात 15000+15000= ₹ 30000/–
9	प्रकीर्ण व्यय प्रति केस	अधिकतम ₹ 700/– तथा ₹ 700/– से अधिक की धनराशि होने की स्थिति में वास्तविक व्यय मय बिल के साथ देय होगा तथा ऐसी स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्राप्त की जायेगी।

क्रमशः.....2

2– इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–216/न्याय विभाग/2003 दिनांक 17.10.2003 तथा शासनादेश सं0–43/XXXVI(1)/2016–43 एक(1)/2003 टी0सी0–1 दिनांकित 28.01.2016 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–232/XXVII(7)/2020 दिनांक 18.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
सचिव

संख्या– 1079 /XXXVI-A-1/2020–43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त एडवोकेट ऑन रिकार्ड सह स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड राज्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. न्याय अनुभाग–2 एवं 3/वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(रीतेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव